न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 71 / 2015

दर्ज दिनांकः 21 / 05 / 2015

निर्णय दिनांक : 19 / 12 / 2017

1. रामधन पुत्र चन्दा
2. रामदेव पुत्र स्व. औंकार
3. रामेश्वर पुत्र स्व. औंकार
4. गंगा देवी पत्नि स्व. औंकार
5. जगदीश पुत्र स्व. रामलाल
6. बद्री पुत्र स्व. रामलाल
7. गुल्ली देवी पत्नि स्व. रामलाल

समस्त जाति जाट निवासीः ग्राम कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. श्रीलाल पुत्र श्रीनारायण
4. चतुर्भुज पुत्र श्रीनारायण
5. बन्ना पुत्र कल्याण
6. रामेश्वर पुत्र कल्याण
7. राजेन्द्र पुत्र कल्याण

समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

8. भैरू पुत्र बीणा

9. प्रधान पुत्र बीणा

10. रामधन पुत्र बीणा

जाति मीणा निवासीः ग्राम किशोरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

11. भोमा पुत्र रामजीवण

12. गोपाल पुत्र घासी

13. प्रहलाद पुत्र घासी

समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम किशोपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

14. कानाराम पुत्र सूजा जाति बैरवा निवासीः ग्राम किशोरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

15. श्रीमती नोरती देवी पत्नि हनुमान

16. श्रीमती सुवा देवी पत्नि प्रेमचन्द

जाति बागरिया निवासीः ग्राम समेलिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

17. लाडा देवी पुत्री औकार पत्नि हनुमान जाति जाट निवासीः ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

18. सुप्यार उर्फ काली देवी पुत्री स्व. औंकार पत्नि भीवाराम जाति जाट निवासीः ग्राम कांस्या, तहसील फागी, जिला जयपुर।

19. रतनी देवी पुत्री स्व. औंकार पत्नि रामफूल जाति जाट निवासीः ग्राम चांदमाखुर्द तहसील फागी, जिला जयपुर।

20. लादी देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासीः ग्राम मण्डप, तहसील फागी,

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

——अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी शीर्षकीय वाद पत्र विधिवत रूप से एवं ठोस आधारो पर प्रस्तुतकर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी—पूरी आशा है। प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी वाके ग्राम समेलिया पटवार हल्का समेलिया भू.अभि.नि. क्षेत्र नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर अंतर्गत स्थित आराजी खसरा नंबर 672/2 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 674 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 675 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 676/2 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 681/2 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 683/2 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 686/2 रकबा 09 बीघा, खसरा नंबर 691/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 695/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 696/2 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा में वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 02 लगायत 08 एवं अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 का 2/3 है चूंकि रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार औकार, रामलाल पिता रामजीवण की मृत्यु हो चुकी है एवं वादी संख्या 02 लगायत 08 एवं अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 20 इसके वारिसान एवं उत्तराधिकारी है इसलिये उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी पर अपने हिस्सनुसार मौके पर काबिज काश्त है एवं लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है उक्त वर्णित खसरा नंबरान के मूल खसरा नंबर संवत् 2011 पर्चा खतौनी में उनका रकबा निम्न प्रकार था आराजी खसरा नंबर 676 रकबा 08 बीघा, खसरा नंबर 677 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 678 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 680 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 681 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 686 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 683 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 684 रकबा 19 बीघा, खसरा नंबर 673 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 16 के द्वारा आराजीयात के मूल खातेदारो से भिन्न भिन्न विक्रय पत्रो के द्वारा क्रय कर कब्जा अपने हिस्सेनुसार संभाल लिया एवं राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

रिकॉर्ड में उनके भिन्न भिन्न बंटा नंबर डालकर खाता अलग अलग कर दिया गया परन्तु उक्त खसरा नंबरो के नक्शे में भूप्रबन्ध कर्मचारियो द्वारा वर्णित खसरा नंबरो का रकबा नक्शे में कम ज्यादा कर दिया गया जिनका उनको कोई वैधानिक अधिकार नहीं था उक्त वर्णित खसरा नंबर 676 जिसका रिकॉर्ड में 08 बीघा है एवं मौके पर तरमीम 01 बीघा 15 बिस्वा की दी है अर्थात रिकॉर्ड के विपरीत तरमीम कर दी गई एवं खसरा नंबर 677 जो रिकॉर्ड में 08 बिस्वा है नक्शे में तरमीम 19 बिस्वा कर दी गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 675 का रकबा बडा दिया गया एवं खसरा नंबर 678 की गलत तरमीम कर दी गई जिसका सैटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था इसी प्रकार खसरा नंबर 680 के बटा नंबर डालकर गलत तरमीम कर दी गई एवं रिकॉर्ड के विपरीत राजस्व नक्शे में रकबा ज्यादा कर दिया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 684 के रिकॉर्ड जमाबंदी के मुताबिक 19 बीघा है एवं नक्शे में उसका रकबा 25 बीघा कर दिया गया एवं खसरा नंबर 673 की भी मौके के विपरीत गलत तरमीम कर दी गई। सैटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा उक्त गलती कर दी गई जिसको सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा वर्ष 1948 में शुद्वि कर उक्त गलत तरमीम को निरस्त करते हुये निरस्त कर नये खसरा नंबर लाल रंग से डालकर उक्त वर्णित रकबे की दुबारा से सीमाये लाल रंग से निर्धारित कर पूर्ववर्ती तरमीम को निरस्त कर दी गई एवं लाल रंग से उक्त संपूर्ण रकबे की सीमाये निर्धारित करते हुये नये खसरा नंबर अंकित कर दिये गये उक्त खसरा नंबरो की नवीन तरमीम को वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में अमल नहीं किया एवं पुरानी गलत तरमीम के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने दिनांक 29/04/2015 को सीमाज्ञान करवाकर जबरन प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की भूमि को छोडने की ऐलानिया धमकी दिनांक 30/04/2015 को देने पर प्रार्थीगण ने उक्त रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि उक्त राजस्व नक्शे में रिकॉर्ड के विपरीत गलत तरमीम कर दी गई है तब प्रार्थीगण ने पुरानी नकले वगै0 निकलवाकर उक्त तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत तरमीम जो सैटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा राजस्व नक्शा में कर दी गई थी जिसको उन्होने वर्ष 1948 के नक्शा लट्ठा में लाल स्याही से गलत तरमीम को निरस्त करते

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

हुये लाल रंग से उक्त वर्णित रकबे की नवीन तरमीम कर दी गई परन्तु उसका अमल वर्तमान पटवारी के पास उपलब्ध नक्शे में नहीं होने के कारण उक्त गलत तरमीम का फायदा उठाते हुये खसरा नंबर 684 के खातेदार ने सीमाज्ञान करवाकर रिकॉर्ड के मुताबिक राजस्व नक्शे के आधार पर 25 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करने लगा एवं अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने वर्तमान नक्शे के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी कि मेरी भूमि इन्होने ले ली है अब मेरी आपकी तरफ निकलती है एवं उक्त भूमि पर हम जबरन कब्जा करेगे जबकि प्रार्थीगण के पास मौके पर रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी भूमि कब्जे में है जबकि अधिकतम भूमि है वह खसरा नंबर 684 के बटा नंबर 684/1356, 684/1361 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 16 के पास है एवं खसरा नंबर 677 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 07 के पास वर्तमान रिकॉर्ड के मुताबिक अधिक भूमि अन्य खातेदारो के कब्जे में है अर्थात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में वर्णित गलत तरमीम होने से उक्त विवाद उत्पन्न हुये है। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 03 ने खसरा नंबर 683 की गलत तरमीम वर्तमान नक्शा ट्रेस में कब्जे के विपरीत करवा ली है जो गलत है जिसको भी निरस्त घोषित किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरो का राजस्व नक्शे में गलत तरमीम को वर्ष 1948 में दुरूस्त कर दिया परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में उसका अमल नहीं होने के कारण उक्त गलत तरमीम के आधार पर बंटा नंबर डालकर भिन्न भिन्न खसरा नंबरो की बाद में तरमीम कर दी गई उक्त खसरा नंबरो में रिकॉर्ड के मुताबिक 684 के दो नंबर बने है 684/1361 एवं 684/1356 व 686 के बटा नंबर डालकर 686/2, 686/3, 686/1 बन चुके है एवं मौके पर कोई तरमीम नहीं है। खातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर काश्त करते हुये चले आ रहे है उक्त वर्णित रकबे में वर्ष 1948 में दुरूस्त की गई तरमीम के बाद में कोई नवीन तरमीम नहीं है। इसलिये वर्तमान मौके अनुसार कब्जे अनुसार तरमीम कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

29/04/2015 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर दिनांक 30/04/2015 को प्रार्थीगण को उसके कब्जेशुदा खातेदारी की भूमि से कब्जा छोडने देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है इसलिये प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में मौके कब्जे अनुसार तरमीम को दुरूस्त करवाना आवश्यक हुआ है एवं अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरन कब्जा ना स्वयं करे व अन्य से करावे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अप्रार्थीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि उक्त गलत तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थीगण की आराजी में जबरन कब्जा नहीं कर आराजी से बेदखल नहीं करे जबकि प्रार्थीगण को यह हंक व अधिकार प्राप्त है कि वो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा दे। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त मंसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिये प्रार्थीगण के हितो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, न आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, मुन्तकिल करे। प्रार्थीगण को आराजीयात से बेदखल न करे, उपरोक्त कृत्य न स्वयं करे न अन्य एजेण्ट, सर्वेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 18.06.2015 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 151 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.06.2015

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। वकील प्रार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 151 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20.08.2015 को वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से इंकार किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति प्रकट की। प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 686 के स्थान पर खसरा नंबर 686/2 लाल स्याही से दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये एवं संशोधित स्थगन तहरीर जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 28.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 11, 12, 13 व 15 के विरूद्व बावजूद प्रॉपर तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 09.09.2016 को वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 14 के विरूद्व बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 17.11.2016 को अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 24.11.2016 को अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 30.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 16 के विरूद्व बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, वाद पत्र इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादीगण ने वाद के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान तरमीम को गलत होने का कथन कर तरमीम को हजफ कर जमाबंदी एवं मौके पर कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाना चाहा है जिसमे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम गलत एवं दुरूस्ती योग्य है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य तरमीम का विवाद है। पक्षकारान के मध्य शांति बनी रहे एवं पक्षकारान को किसी भी प्रकार की हानि ना हो इस हेतु मेरे विनम्र मत में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी